Schedule XLII - High Court (M) 21. [Old (M) 108 and (109)]

COMBINED TITLE PAGE AND TABLE OF CONTENTS FILE

ORDER

16/07/22

राजेन्द्र कु० विजय

Complainant

Applicant

Accused

Opposite party

सुभाष पोद्दार

IN THE COURT OF SUB - DIVISIONAL MAGISTRATE, SADAR CHAIBASA

~~Misc. Case No~~ तलाक 9706/2021 of 20 ....

Section of the Indian Penal Code or other law ... ...

Date of the Decision of the original Court ... ...

Date of decision of Appellate or Revisional Court ... ...

TABLE OF CONTENTS

1	2	3	4	5	6
Serial number of Paper	Sheets	Description	Value of Court fee Stamps	Period for which to be perserved	Remarks
01-36	36	Entire Order Sheet.			

Remarks

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, सदर चाईबासा।

विविध वाद सं0 – 06 / 2021

जेश कुमार विजय — बनाम — सुभाष पोद्दार

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई बाद में टिप्पणी सहित
27/12/21	आवेदक राजेश कुमार विजय, पे0 – स्व0 साधु राम विजय, सा0 – मधु वाजार, थाना – सदर, जिला – प0सिंहभूम चाईबासा के द्वारा आवेदन समर्पित कर सूचित किया गया है कि सुभाष पोद्दार, पे0 – स्व0 युगल किशोर पोद्दार, सा0 – मधु वाजार, जिला – प0सिंहभूम चाईवासा ने पैसे की लेन–देन को लेकर विवाद किया जा रहा है। उभय पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 18/01/2022 को उपरथापित करें। Sd/- 27.12.2021 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर चाईवासा।	

18/01/22	अभिलेख उपस्थापित। COVID-19 के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन किये जाने के कारण वाद की अगली तिथि 18/02/22 निर्धारित की जाती है।
	अनु० लि०आ०
18/02/22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित है। अभिलेख दिनांक 04/03/2022 को रखें।
	अनु० लि०आ०
04/03/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित है। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित है।
	File S/C both party
	Next Date. 25.3.2022
	अनु० लि०आ०
25/03/22	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष उपस्थित है।
	File S/C 2nd party.
	Next. Date - 5.4.2022

06/04/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित है। द्वितीय पक्ष की ओर से वकालतनामा हाजिर किया गया है एवं उनके ओर से एक महीना S/C दाखिल करने हेतु एक महीना का समय की मांग की गई है। S/C - 2nd 22/4/2022 अनु० सहा०	
27/04/22	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष की ओर से S/C दाखिल किया गया है। अनु० सहा०	2nd party S/C filed
24/06/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित है। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित है। order 24.6.22	

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, सदर चाईबासा।

विविध वाद सं0 06/2021

श्री राजेश्र कुमार विजय बनाम श्री सुभाष पोद्दार

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई बाद में टिप्पणी सहित
	उक्त वाद की कार्रवाई आवेदक श्री राजेश कुमार विजय, पिता – स्व0 साधु राम विजय, सा0 – मधु बाजार, थाना – सदर, जिला – प0सिंहभूम चाईबासा एवं द्वितीय पक्ष सुभाष पोद्दार, पे0 – स्व0 युगल किशोर पोद्दार, सा0 – मधु बाजार, थाना – सदर, जिला – प0सिंहभूम, चाईबासा के द्वारा समर्पित आवेदन पर अनुसूचि में वर्णित दुकान को लेकर विविध वाद के अन्तर्गत प्रारंभ की गई। उभय पक्ष को लिखित कथन दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उक्त वाद में थाना से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई थी। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय में वाद का प्रारंभ किया गया है। उक्त जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विवादित स्थल वाद में द्वितीय पक्ष सुभाष पोद्दार का दो तल्ला भवन है। जिसमें ग्राउन्ड फ्लोर पर वाद में प्रथम पक्ष राजेश कुमार विजय को व्यापार चलाने हेतु एग्रिमेंट के आधार पर दिया गया है तथा प्रथम तल्ला पर वाद में द्वितीय पक्ष सुभाष पोद्दार का आवास है। ग्राऊण्ड फ्लोर में जो दुकान है, वह मरम्मति करने योग्य है। अतः जांच प्रतिवेदन एवं दोनो पक्ष से मौखिक वार्ता के उपरांत प्रथम पक्ष को आदेश दिया जाता है कि वह अपने ग्राउण्ड फ्लोर को पूर्ण रूप से मरम्मति करायेंगे। द्वितीय पक्ष द्वारा मरम्मति में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। यदि किसी पक्ष को आपत्ति हो तो सुसंगत धाराओं के अधीन न्यायालय में वाद दाखिल करेंगे। इस आदेश के साथ वाद का निष्पादन किया जाता है। 16.7.22 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर चाईबासा।	

Digitally signed by SHASHINDRA BARAIK
Date: 2023.01.20 16:41:31 +05:30
Location: 192.168.29.68